



2013/00135

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प अटल सेवा केन्द्र रजौराखुर्द )  
प्रकरण संख्या : 21/2013

बमुक0 सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

बनाम

श्री रामप्रकाश, जनवेद पुत्र रामसरन, कप्तानसिंह, दीवानसिंह पिस0 रामसरन कौम  
ठाकुर, रामजीलाल पुत्र छोटे कौम ब्राहमण निवासी दौनारी तहसील सैपऊ,  
पंजाब नेशनल बैंक शाखा बसईनबाब, राजस्थान ग्रामीण बैंक सैपऊ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट

25.05.2018 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र रजौरा खुर्द पर पेश हुई । पत्रावली का अवलोकन किया । तहसीलदार सैपऊ द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1527 रकवा 1 वीघा 10 विश्वा वाके ग्राम दौनारी तहसील सैपऊ अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिसमें उन्होंने बिना भूमि रूपान्तरण कराये मोबाईल टावर स्थापित कर दिया है। कृषि भूमि को उन्हें मोबाईल टावर स्थापित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। तहसीलदार द्वारा खातेदारी अधिकार समाप्त कर मोबाईल टावर के उपयोग में ली गई भूमि को राज्य सरकार (सिवायचक) दर्ज कराये जाने हेतु निवेदन किया है।

\* बिना रूपान्तरण कराये स्थापित मोबाईल टावरों के सम्बन्ध में **Department of Urban Devlopment and Housing Govt. of Rajsthan** ने आदेश क्रमांक f .10(147)UDH/3/2008 part III Date 6 feb.2017 जारी कर निर्धारित फीस प्राप्त कर बिना रूपान्तरण कराये स्थापित मोबाईल टावरों को नियमित करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसकी कार्यवाही पृथक से की जानी है। इसलिये अब इस प्रकरण को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फौसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

*[Signature]*